नियमावली

1. संस्था का नाम छत्तीसगढ़ तीर्थ यात्रा योजना समिति होगा।
2. संस्था का कार्यालय समाज कल्याण संचालनालय, महानदी खण्ड डी.के.एस. भवन रायपुर तहसील रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़
3. संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ होगा।
4. संस्था का उद्देश्य इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को उनके जीवनकाल में एक बार, प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न नागनिर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है।
5. सदस्यता :– संस्था के निम्न सदस्य होगें :–

1. माननीय मुख्यमंत्री	–	अध्यक्ष
2. माननीय मंत्री, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	–	उपाध्यक्ष
3. माननीय मंत्री, समाज कल्याण	–	उपाध्यक्ष
4. प्रमुख सचिव/सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	–	सदस्य
5. प्रमुख सचिव/सचिव गृह	–	सदस्य
6. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	–	सदस्य
7. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	–	सदस्य
8. प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन	–	सदस्य
9. प्रमुख सचिव/सचिव समाज कल्याण	–	सदस्य
10. संचालक, समाज कल्याण विभाग	–	सदस्य सचिव
11. एक नामांकित अशासकीय सदस्य		

6. **सदस्यों की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैं :–
(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो, (2) भारतीय नागरिक हो, (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो, (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो,
7. **सदस्य की समाप्ति** :–संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-
(1) मृत्यु हो जाने पर, (2) पागल हो जाने पर, (3) त्याग–पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर, (4) चरित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निष्कासित किये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी,
8. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :-
(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय,
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.,
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो,
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर,

(अ) साधारण सभा :- साधारण .. .. 5 में दशाये श्रेणी सदस्य समावेशित होंगे. साधारण सभी की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी. बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा. संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी. उसमें संस्था के पदाधिकारियों को विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयन को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का जेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता हैं तो बैठक एक घंटो के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी.

(स) विशेष :- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें, तो उनके दशाये विषय करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी. विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा. पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होना.

10. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना . (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पति की ठीक व्यवस्था करना (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षको की नियुक्ति करना (घ) अन्य ऐसे विषयो पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रको को स्वीकृत करना (छ) बजट का अनुमोदन करना .

11. **प्रबंधकारिणी का गठन** :- नियम 5 में दर्शाये गये सदस्यों में से निम्नानुसार सदस्य प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य होंगे :-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	—	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व विभाग	—	सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव गृह विभाग	—	सदस्य
4. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग	—	सदस्य
5. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	—	सदस्य
6. प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन विभाग	—	सदस्य
7. संचालक समाज कल्याण विभाग	—	सचिव

12. **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-** (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना

(द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए

(च) संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम पर से रहेगी

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नही की जाएगी

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संषोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा .

13. **अध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष साधारण सभा की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा .

14. **उपाध्यक्ष के अधिकार :-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठको की अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा .

15. **सदस्य सचिव के अधिकार :-**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधंकारिणी का बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना .

(2) समिति की आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना .

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसी सूचना प्रबंधकारिणी को देना

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये ..एक लाख........ व्यय करने का अधिकार होगा।

16. **सोसाइटी का कार्यालय एवं संचालक :-** सोसाइटी का एक कार्यालय होगा जिसका नाम छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा राज्य कार्यालय होगा। संचालनालय समाज कल्याण का एक संयुक्त संचालक स्तर का अधिकारी इस सोसाइटी का संचालक होगा। सोसाइटी के कार्यों के लिए प्रबंधकारिणी समिति द्वारा आवश्यक संख्या में तकनीकी एवं [illegible] प्रोफेसन्लस की सेवाएं ली जा सकेगी

17. राज्य कार्यालय के कार्य एवं शक्तियां :–

1. राज्य कार्यालय निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी–

(क) वरिष्ठ नागरिकों की यात्राओं के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी का संग्रहण एवं प्रचार–प्रसार।

(ख) योजना का संचालन एवं मानीटरिंग।

(ग) यात्रियों की शिकायतों/समस्याओं को स्थानीय अधिकारियों के ध्यान मे लाकर उनका निराकरण करना।

(घ) यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य आवश्यक कार्य करना एवं सुझाव देना।

(च) तीर्थ यात्रा कोष का नियंत्रण।

(छ) अन्य कार्य जो समय–समय पर शासन द्वारा सौंपे जाएं।

2. समिति अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर उप समितियॉ बना सकेगी।

18. **मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कोष** :– योजना के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा समिति द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ–यात्रा कोष स्थापित किया जाएगा जिसमें राज्य सरकार द्वारा आबंटित राशि और निजी स्त्रोतों से प्राप्त राशिया सम्मिलित होंगी।

इस कोष का उपयोग उक्त कर्त्तव्यों के अतिरिक्त तीर्थ यात्रा प्रबंधन हेतु किसी अधिकारी/कर्मचारी, संपर्क व्यक्ति के वेतन भत्तों एवं अन्य अनुषांगिक व्ययों के लिए भी किया जा सकेगा।

19. **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी. धन का आहरण प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर से होंगे। रू. 50,000/– (पचास हजार मात्र) के चेक पर सदस्य सचिव के एकल हस्ताक्षर होगे। सदस्य सचिव दैनिक लेखा रखने के लिए उत्तरदायी होगे।

20. **वार्षिक रिपोर्ट** :– प्रत्येक माह जनवरी में वार्षिक रिपोर्ट राजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। धारा 27,28 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट साधारण सभा के बैठक के 45 दिवस के अन्दर भेजना होगा।

21. **आडिट** :– प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में सी.ए. द्वारा आडिट करवाया जाएगा एवं रिपोर्ट रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएँ को भेजा जाएगी।

22. **वित्तीय वर्ष** :– सोसाइटी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक रहेगा

23. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय–नियत शुल्क के साथ भेजेगी.

24. **संशोधन** :– संस्था के विधान मे संशोधन साधारण सभा की बैठक मे कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित मे उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्मस एवं संस्थाएं को होगा जो सभी सदस्य को मान्य होगा. संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय निर्धारित शुल्क साथ भेजेगी.

25. विघटन :— संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

26. सम्पत्ति :— संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम रहेगी. संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियम शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी.

27. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :— संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा. साथ यही यह बैठक विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा.

28. विवाद :— संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा, यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे. रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा. संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा.